रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2012/भाद्र 15, 1934
No. 440] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2012/BHADRA 15, 1934

जनजातीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 669(अ).—अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम, 2012 का प्रारूप, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की धारा 14 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 578(अ), तारीख 19 जुलाई, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में उसी तारीख को प्रकाशित किया गया था, जिससे ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां, जनता को 20 जुलाई, 2012 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप संशोधन नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) में,--

(i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(ख) "जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारों के किसी प्रयोग के माध्यम से स्वयं और कुटुंब की जीविका की आवश्यकताओं को पूरा करना अभिप्रेत है तथा जिसके अंतर्गत ऐसे अधिकारों के प्रयोग से उद्भूत अधिशेष उत्पाद का विक्रय भी है ;";

(ii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(गक) "सामुदायिक अधिकार" से वे अधिकार अभिप्रेत हैं, जो धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ), खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ट) और खंड (ठ) में सूचीबद्ध हैं ;

(iii) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(घ) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन "गौण वन उत्पाद के निपटान" में विक्रय के अधिकार के अंतर्गत व्यष्टिक या सामूहिक प्रसंस्करण, मूल्य परिवर्धन, ऐसे उत्पाद के उपयोग के लिए परिवहन के समुचित साधनों के माध्यम से वन क्षेत्र के भीतर और बाहर परिवहन या जीविका के लिए जनसमूह या उनकी सहकारिताओं, संगमों या परिसंघों द्वारा विक्रय भी है ।';

स्पष्टीकरण-(1) गौण वन उत्पाद के परिवहन के संबंध में, परमिट प्रणाली उपांतरित होगी और नियम 4 के उपनियम (1) के खंड (ङ) के अधीन गठित समिति द्वारा या ग्राम सभा द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिए जाएंगे ।

(2) परिवहन परमिटों की अपेक्षा की यह प्रक्रिया निपटान के अधिकार को किसी भी प्रकार से निर्बंधित या न्यून नहीं करेगी ।

(3) गौण वन उत्पादों का संग्रहण सभी रायल्टी या फीस या अन्य प्रभारों से मुक्त होगा ।

3. उक्त नियमों के नियम 2 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2क. पुरवों या बंदोबस्तों की पहचान और उनके समेकन की प्रक्रिया-

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि,-

(क) प्रत्येक पंचायत, उसकी सीमाओं के भीतर पुरवों के समूह या आवास, गैर लेखबद्ध या सर्वेक्षण नहीं किए गए बंदोबस्तों या वन ग्राम या जंगल स्थित ग्राम, जो औपचारिक रूप से किसी राजस्व या वन ग्राम अभिलेख का भाग नहीं है, की सूची तैयार करती है और पंचायत

के संकल्प के माध्यम से इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ग्रामों के रूप में सम्मिलित प्रत्येक ऐसे आवास, पुरवों या आवासों की संयोजित ग्राम सभा द्वारा इस सूची को पारित कराएगी और ऐसी सूची को उपखंड स्तर की समिति को भेजेगी ;

(ख) उपखंड स्तर समिति के उपखंड अधिकारी उन पुरवों और आवासों की सूचियों को समेकित करते हैं जो वर्तमान में किसी ग्राम के भाग नहीं हैं किन्तु किसी संकल्प के माध्यम से पंचायत के भीतर ग्रामों के रूप में सम्मिलित किए गए हैं, और या तो विद्यमान ग्राम में ग्राम के रूप में जोड़कर या अन्यथा सुसंगत राज्य विधियों में यथाउपबंधित प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात् ग्राम के रूप में औपचारितक रूप दे दिया गया है और जनता की टीका-टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् ऐसी सूचियों को उपखंड स्तर समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया है, यदि कोई है ;

(ग) लघु ग्रामों और आवासों की सूचियों को अंतिम रूप देने पर इन लघु ग्रामों और आवासों में मान्यता और अधिकारों के निहित होने की प्रक्रिया पहले से मान्यताप्राप्त किन्हीं अधिकारों में व्यवधान डाले बिना की जाती है ;"।

4. उक्त नियमों के नियम 3 में,-

(क) उपनियम (1) में, "कम से कम एक-तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होंगे" शब्दों के स्थान पर, "कम से कम दो-तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजातियों के होंगे" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(4) वन अधिकार समिति अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन नियम, 2012 के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व, पहले से मान्यताप्राप्त वन अधिकारों या पहले से संस्थित दावों के सत्यापन की प्रक्रिया पर नए सिरे से विचार नहीं करेगी ।"।

5. उक्त नियम के नियम 4 में,-

(i) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(च) खंड ङ के अधीन गठित समिति जो कि वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरागत वननिवासियों के लाभ के लिए ऐसे सामुदायिक वन संसाधनों को साम्यापूर्ण प्रबंध करने के लिए सामुदायिक वन संसाधानों के परिरक्षण और प्रबंध योजना तैयार करेगी, की मानीटरी और नियंत्रण करना और ऐसी परिरक्षण और प्रबंध योजना को वन विभाग की सूक्ष्म योजनाओं या कार्य योजनाओं से ऐसे उपांतरणों जैसा की समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए के साथ एकीकृत करना ।

(छ) परिवहन परमिट, उत्पादों के विक्रय से आय का उपयोग या प्रबंध योजना का उपांतरण से संबंधित समिति के सभी विनिश्चयों का अनुमोदन करेगी ।

(ii) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) ग्राम सभा के अधिवेशन में गणपूर्ति ऐसी ग्राम सभा के सभी सदस्यों के आधे से अन्यून सदस्यों द्वारा होगी :

परंतु उपस्थित सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई स्त्रियां होंगी :

परंतु यह और कि जहां वन अधिकारों के दावों के संबंध में कोई संकल्प पारित किया जाना है, वन अधिकारों के दावेदारों या उनके प्रतिनिधियों के पचास प्रतिशत उपस्थित होंगे ।

परंतु यह और भी कि ऐसे संकल्प उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित होंगे ।"।

6. उक्त नियमों के नियम 6 में खंड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ठ) दावेदारों को दावों के इन नियमों के उपाबंध-1 (प्ररूप क, ख और ग) में यथाउपबंधित प्रोफार्मा की आसानी से और निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करेगी"।

7. उक्त नियमों के नियम 8 में,

(i) खंड (छ) में "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ज) में "और" शब्द अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(iii) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(झ) यह सुनिश्चित करना कि इन नियमों के उपाबंध-4 में यथाविनिर्दिष्ट, अधिनियम के अधीन सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों और हक के अभिलेख की एक प्रमाणित प्रति संबंधित ग्राम सभा या समुदाय, जिनके सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकारों को अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन मान्यता दी गई है, को प्रदान की गई है"।

8. उक्त नियमों के नियम 10 में,-

(i) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा :--

"(ग)" तीन मास में कम से कम एक बार वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और निहित करने की प्रक्रिया को मानिटर करने के लिए बैठक करेगी, क्षेत्र स्तर समस्याओं पर विचार और उनका समाधान करेगी, और लंबित दावों की प्रास्थिति के संबंध में उपाबंध 5 से उपाबद्ध प्ररूप में उनके निर्धारण पर अधिनियम के अधीन अपेक्षित कदमों का अनुपालन करेगी, अनुमोदित दावों के ब्यौरे, खारिज करने के कारण, यदि कोई हों केन्द्रीय सरकार को त्रैमासिक रिपोर्ट देगी,"।

(ii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(च) विशिष्टतया धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन और धारा 4 की उपधारा (8) को भी मानिटर करेगी,"

9. उक्त नियमों के नियम 11 के उपनियम (4) में "प्ररूप ख में सामुदायिक वनाधिकारों" शब्दों और अक्षर के स्थान पर "प्ररूप ख में सामुदायिक वनाधिकारों और प्ररूप ग में धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन सामुदायिक वन संसाधन पर अधिकार" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

10. उक्त नियमों के नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"**12क. अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया**-(1) वनाधिकार समिति से सूचना की प्राप्ति पर वन और राजस्व विभागों के पदधारी स्थल पर दावों के सत्यापन और साक्ष्यों के सत्यापन के दौरान उपस्थित रहेंगे और अपने पदनाम, तारीख और टिप्पणियां, यदि कोई हों, के साथ कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करेंगे ।

(2) यदि इन विभागों द्वारा पश्चातवर्ती किसी तारीख को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित दावों पर इस कारण आक्षेप किए जाते हैं कि क्षेत्र सत्यापन के दौरान उनके प्रतिनिधि अनुपस्थित रहते हैं, तो पुनःसत्यापन के लिए दावे को उस समिति द्वारा जहां आक्षेप किए गए हैं, ग्राम सभा को भेज दिया जाएगा । यदि उक्त प्रतिनिधि फिर से सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेने में असफल रहते हैं, तो क्षेत्र सत्यापन पर ग्राम सभा का विनिश्चय अंतिम माना जाएगा ।"

(3) ग्राम सभा द्वारा दावे को उपांतरण या उसे खारिज करने की दशा में या उपखंड स्तर समिति द्वारा अग्रेषित दावे को उपांतरण या उसे खारिज करने की दशा में दावे पर ऐसे विनिश्चय या सिफारिशों को व्यक्तिगत रूप से दावेदार को संसूचित किया जाएगा जिससे वह, यथास्थिति, उपखंड स्तर समिति या जिला स्तर समिति को साठ दिन की अवधि जिसे तीस और दिन के लिए उक्त समितियों के विवेक पर विस्तारित किया जा सकेगा के भीतर याचिका करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

(4) यदि कोई अन्य राज्य अभिकरण ग्राम सभा या उपखंड स्तर समिति के विनिश्चय पर आक्षेप करने की वांछा रखता है, तो वह, यथास्थिति, उपखंड स्तर समिति या जिला स्तर समिति के समक्ष अपील फाइल करेगा जिसका विनिश्चय दावेदार को सुनने के पश्चात् (संबंधित अभिकरण के प्रतिनिधि, यदि कोई हो, की अनुपस्थिति में) समिति द्वारा किया जाएगा ।

(5) किसी व्यथित व्यक्ति की याचिका को तब तक निपटाया नहीं जाएगा जब तक कि उसे अपने दावे के समर्थन में कुछ प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर न प्रदान कर दिया गया हो ।

(6) उपखंड स्तर समिति या जिला स्तर समिति, यदि आवश्यक समझे, तो ग्राम सभा के संकल्प या सिफारिश के अपूर्ण पाए जाने या प्रथम दृष्टया अतिरिक्त परीक्षण की अपेक्षा होने की दशा में उसे उपांतरित या खारिज करने की बजाए पुनर्विचार करने के लिए ग्राम सभा को दावे को प्रतिप्रेषित करेगी ।

(7) उन दशाओं में, जहां ग्राम सभा द्वारा किसी दावे की समर्थनकारी दस्तावेजों और साक्ष्य के साथ सिफारिश करने संबंधी पारित संकल्प को उप खंड स्तर की समिति को उपांतरणों के साथ या उनके बिना मान्य ठहराया जाता है किन्तु उसे जिला स्तर समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो जिला स्तर समिति, यथास्थिति, ग्राम सभा या उपखंड स्तर समिति की सिफारिशों को स्वीकार न करने के ब्यौरेवार कारण लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करेगी और जिला स्तर समिति के

आदेश की प्रति उसके कारणों सहित, यथास्थिति, दावाकर्ता या ग्राम सभा या समुदाय को उपलब्ध कराई जाएगी ।

(8) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन मान्यता प्राप्त स्वयं कृषि करने के लिए भूमि संबंधी अधिकारों को विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर जिसके अंतर्गत कृषि से संबंधित आनुषंगिक क्रियाकलापों जैसे पशु रखने, पछोने और अन्य पश्च फसल कटाई क्रियाकलापों, चक्रानुक्रम परती भूमि, वृक्ष उपज और उत्पाद के भंडारण आदि के लिए प्रयुक्त वन भूमि भी है ।

(9) इन नियमों के उपाबंध 2, 3 और 4 में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारों के स्थिरीकरण और हक जारी करने की प्रक्रिया पूरी होने पर, राजस्व और वन विभाग इस प्रकार निहित वन भूमि का अंतिम मानचित्र तैयार करेंगे और संबद्ध प्राधिकारी इस प्रकार निहित वनाधिकारों को, यथास्थिति, राजस्व और वन विभागों के अभिलेखों में सुसंगत राज्य विधियों के अधीन अभिलेख अद्यतन किए जाने की विनिर्दिष्ट अवधि या तीन मास की अवधि इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के भीतर समाविष्ट करेंगे ।

(10) उपखंड स्तर समिति और जिला स्तर समिति के सभी विनिश्चय, जिनमें ग्राम सभा संकल्प या सिफारिश का उपांतरण या नामंजूर किया जाना अंतवर्लित है, में, यथास्थिति, ऐसे उपांतरण या नामंजूर करने के ब्यौरेवार कारण दिए जाएंगे :

परंतु यह कि दावों की कोई सिफारिश या नामंजूर करना केवल तकनीकी या प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं होगा :

परंतु यह और कि ब्लॉक या पंचायत या वन बीट या रेंज स्तर पर कोई समिति (सिवाय ग्राम सभा या वन अधिकार समिति) या किसी रैंक का व्यष्टिक अधिकारी वन अधिकारों पर किसी दावे को लेने या नामंजूर करने, उपांतरित करने या विनिश्चय करने के लिए सशक्त होगा ।

(11) उपखंड स्तर समिति या जिला स्तर समिति दावे का विनिश्चय करने में नियम 13 में विनिर्दिष्ट साक्ष्य पर विचार करेगी और दावे पर विचार करने के लिए किसी विशिष्ट दस्तावेजी साक्ष्य पर बल नहीं देगी ।

स्पष्टीकरण.- 1. शासकीय कार्य के दौरान उद्भूत जुर्माने की रसीदें, अधिक्रमणकर्ता सूची, मुख्य अपराध रिपोर्टें, वन व्यवस्थापन रिपोर्टें और वैसे ही दस्तावेज चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों अथवा उनका न होना किसी दावे को नामंजूर किए जाने का एकमात्र आधार नहीं होगा ।

(2) उपग्रह चित्र और प्रौद्योगिकी के अन्य उपयोग साक्ष्य के अन्य रूपों के अनुपूरक हो सकेंगे और उन्हें उनका विकल्प नहीं माना जाएगा ।

12ख. सामुदायिक अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया-- (1)जिला स्तर समिति वनवासियों के बीच विशिष्टतः भेद्य जनजातीय समूह कीं अंतरीय भेधता को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम की धारा 3(1)(ड) में यथावर्णित सभी विशिष्टतः भेद्य जनजातीय समूह संबंधित पारंपरिक संस्थाओं के विशिष्टतः भेद्य जनजातीय समूह (पीटीजी) के परामर्श से आवास अधिकार प्राप्त करते हैं और आवास अधिकारों के संबंध में उनके दावे, संबंधित ग्राम सभाओं के समक्ष, जहां कहीं उनकी ग्राम सभा की प्लवमान प्रकृति को मान्यता देकर आवश्यक हो, फाइल किए जाते हैं ।

(2) जिला स्तर समिति संबंधित ग्राम सभाओं के समक्ष धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) में यथावर्णित चारागाहियों, क्षेत्रान्तरण और घुमंतु समुदायों जैसे कि द्वारा दावों को फाइल किए जाने को सुकर बनाएगी ।

(3) जिला स्तर समिति यह सुनिश्चय करेगी कि धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन किसी सामुदायिक वन संसाधन के संरक्षण, पुनर्जनन या परीरक्षण या प्रबंधन से संबंधित वन अधिकारों जिनके प्रति वन निवासी पारंपरिक रूप से निरंतर उपयोग के लिए संरक्षण और परीरक्षण को सभी ग्रामों में वनवासियों के पास मान्यता दी गई है और हकदारी जारी की गई है ।

(4) किसी ग्राम में वन संपदा अधिकारों को मान्यता न दिए जाने की दशा में उसके कारणों को जिला स्तर समिति के सचिव द्वारा अभिलिखित किया जाएगा ।

(5) वन ग्रामों, धारा 3 के खंड (ज) के अधीन गैरअभिलिखित स्थिरिकरण में ग्राम के वास्तविक भूमि उपयोग को उसकी संपूर्णता में शामिल किया जाएगा जिसके अंतर्गत विद्यालयों, स्वास्थ्य परिसुविधाओं और सार्वजनिक स्थान आदि जैसे भावी सामुदायिक उपयोग के लिए अपेक्षित विद्यमान भूमि भी है ।

11. उक्त नियमों के नियम 12 में उपनियम (1) में खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(च) सामुदायिक वन संसाधनों की परंपरागत सीमाओं को ग्राम सभा के अन्य सदस्यों के साथ जिसके अंतर्गत ऐसे बड़े भी हैं जो ऐसी सीमाओं और परंपरागत पहुंच के साथ भली प्रकार से परिचित हैं, चिह्नित किया जाएगा ;

(छ) पहचाने जा सकने वाले भूमि चिह्नों के साथ और सारवान साक्ष्य के माध्यम से एक सामुदायिक वन संसाधन मानचित्र तैयार किया जाएगा जैसा कि नियम 13 के उपनियम (2) में उपदर्शित है और तत्पश्चात् ऐसे सामुदायिक वन संसाधन दावे को ग्राम सभा के संकल्प जिसे साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकेगा, द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण.- सामुदायिक वन संसाधन के चिह्नांकन में विद्यमान विधिक सीमाओं जैसे कि आरक्षित वन, संरक्षित वन, राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारणों को शामिल किया जा सकेगा और ऐसा चिह्नांकन समुदाय की ऐसे सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच, संरक्षण और निरंतर उपयोग को औपचारिकता प्रदान करेगा और मान्यता देगा"।

12. उक्त नियमों के नियम 13 के उपनियम (2) में-

(i) "सामुदायिक वनाधिकार" शब्दों के स्थान पर "सामुदायिक वन संसाधन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

(घ) चालू आरक्षित वन के संरक्षित वन या गोचर या गांव की अन्य आम भूमि के वर्गीकरण के पूर्ववर्ती सरकारी अभिलेख या निस्तारी वन ;

(ङ) पारंपरिक कृषि की पूर्ववर्ती या चालू पद्धति ।"

13. उक्त नियमों के नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"16. **वन अधिकार धारकों को दावा पश्च सहायता और सहयोग**

राज्य सरकार अपने विभागों विशेषकर जनजाति और समाज कल्याण, पर्यावरण और वन, राजस्व, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और अन्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन वासियों के उत्थान से सुसंगत अन्य विभागों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि सभी सरकारी स्कीमों जिनके अंतर्गत भूमि सुधार भूमि उत्पादकता मूल सुविधाओं और जीवन-यापन उपायों से संबंधित स्कीमों को ऐसे दावाकर्ताओं को और समुदायों जिनके अधिकारों को इस अधिनियम के अधीन मान्यता दी गई है और विहित किया गया है के लिए उपबंध किया जा सके ।"

14. उक्त नियमों के उपाबंध 1 में, प्ररुप ख के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररुप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप-ग

सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिए दावा प्ररुप

[अधिनियम की धारा 3(1)(झ) और नियम 11(1) और (4क) देखिए]

1. ग्राम/ग्राम सभा :
2. ग्राम पंचायत :
3. तहसील/तालुक :
4. जिला :
5. ग्राम सभा के सदस्यों के नाम (प्रत्येक सदस्य के सामने उपदर्शित अनुसूचित जनजाति /अन्य परंपरागत वन निवासी प्रास्थिति सहित अलग एक प्रपत्र के रूप में संलग्न करें)

दावा करने के लिए जनजातियों/अन्य परंपरागत वन निवासियों का होना पर्याप्त है ।

हम, इस ग्राम सभा के अद्योहस्ताक्षरित निवासी इसके द्वारा यह संकल्प करते हैं कि नीचे और संलग्न मानचित्र में निर्दिष्ट क्षेत्र, जिसमें हमारा ऐसा सामुदायिक वन संसाधन सम्मिलित है, जिस पर हम धारा 3(1) (झ) के अधीन अपने अधिकारों की मान्यता का दावा कर रहे हैं ।

(अवस्थित ग्राम की पारंपरिक या रुढ़िजन्य सीमाओं के भीतर भूमि चिह्न या चरागाही समुदायों की दशा में उस स्थलाकृति का मौसमी उपयोग, जिसके लिए समुदाय पारंपरिक पहुंच रखता था और जिन्हें वे संधार्य उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित, पुनरुज्जीवित, परिरक्षित और प्रबंधित करते रहे हैं, को दर्शाते हुए सामुदायिक वन संसाधन का मानचित्र संलग्न करें । कृपया ध्यान दें कि इसके शासकीय सीमाओं के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है)

6. खसरा/कपार्टमेंट संख्या (संख्याएं) यदि कोई हों और यदि ज्ञात हो :

7. सीमा से लगते हुए ग्राम :

(i)

(ii)

(iii)

(इसमें किन्हीं अन्य ग्रामों के साथ संसाधनों और उत्तरदायित्वों का हिस्सा बटाने के संबंध में जानकारी भी सम्मिलित की जा सकेगी)

8. समर्थन में साक्ष्य की सूची (कृपया नियम 13 देखिए)

दावेदार(दावेदारों) का/के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान :

15. उक्त नियमों में उपाबंध 3 के पश्चात् निम्नलिखित उपाबंध अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"उपाबंध-4

सामुदायिक वन संसाधनों के लिए हक

[नियम 8(i) देखिए]

1. ग्राम/ग्राम सभा :
2. ग्राम पंचायत :
3. तहसील/तालुक :
4. जिला :
5. *अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी* : अनुसूचित जनजाति समुदाय/*अन्य परंपरागत वन निवासी* समुदाय/दोनों :
6. सीमाओं का वर्णन, जिसके अंतर्गत प्रमुख सीमा चिन्ह तक और खसरा/कंपार्टमेंट सं. तक रुढ़िजन्य सीमा भी है :

उक्त क्षेत्र के भीतर इस समुदाय को सामुदायिक वन संसाधनों की संरक्षा, पुनरुज्जीवित करने या परिरक्षित करने या प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त है और यह (नामोद्दिष्ट करें) समुदाय वन संसाधन, जिसका वे इस अधिनियम की धारा 3(1) (झ) के अनुसार संधार्य उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षण और परिरक्षण करते रहे हैं ।

हम, अद्योहस्ताक्षरी इसके द्वारा, सरकार के लिए और उसकी ओर से ऊपर उल्लिखित ग्राम सभा (ग्राम सभाओं)/समुदाय (समुदायों) के लिए हक में यथावर्णित सामुदायिक वन संसाधन (सीमा, मात्रा, क्षेत्र, जो भी लागू हो, में नामोद्दिष्ट और विनिर्दिष्ट किया जाए) की पुष्टि करने के लिए अपने-अपने हस्ताक्षर करते हैं ।

(प्रभागीय वन अधिकारी/उप वन संरक्षक) (जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी)

(जिला कलक्टर/उपायुक्त)

उपाबंध-5

त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप
[नियम 10(ग) देखें]

1.	**राज्य का नाम**	
2.	**दावों की प्रास्थिति**	
क)	व्यष्टिक अधिकार	
	• फाइल किए गए	
	• स्वीकृत किए गए	
	• अस्वीकृत किए गए	
	• लंबित	
	• उदाहरणों सहित अस्वीकृत करने के कारण	
	• सुझाए गए सुधारात्मक उपाय	
	• कोई अन्य प्रेक्षण	
	• सम्मिलित वन भूमि का विस्तार (है. में)	
	• इस अधिनियम की धारा 3(1)(क) के अधीन वन और राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने की प्रास्थिति (है.में)	
ख)	सामुदायिक वन अधिकार	
	• फाइल किए गए	
	• स्वीकृत किए गए	
	• अस्वीकृत किए गए	
	• लंबित	
	• सम्मिलित वन भूमि का विस्तार	
	• इस अधिनियम की धारा	

	3(1)(ख) से 3(1)(ठ) के अधीन वन और राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने की प्रास्थिति (है.में)	
	• उदाहरणों सहित अस्वीकृत करने के कारण	
	• सुझाए गए सुधारात्मक उपाय	
	• कोई अन्य प्रेक्षण	
ग)	प्रबंधित किए जा रहे और किसके द्वारा प्रबंधित किए जा रहे सामुदायिक वन संसाधन के ब्यौरे	
घ)	अच्छे व्यवहार (यदि कोई हों)	
ङ)	अधिनियम की धारा 3(2) के अधीन विभाजित क्षेत्र	
च)	कोई अन्य टिप्पणियां	

(अध्यक्ष) (सदस्य सचिव)

राज्य स्तरीय मानीटरी समिति राज्य स्तरीय मानीटरी समिति ।"।

[फा. सं. 23011/32/2010- (जिल्द 2)]

डा. साधना राउत, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1(अ) तारीख 1 जनवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2012

G.S.R. 669(E).—WHEREAS the draft of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Amendment Rules, 2012 were published, as required by sub-section (1) of section 14 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) under the notification of the Government of India in the Ministry of Tribal Affairs number G.S.R.578(E), dated the 19th July, 2012 in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) of the same date, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

AND WHEREAS the copies of the said Gazette were made available to the public as on July 20, 2012.

AND WHEREAS the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft amendment rules have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 14 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008,namely:-

1. (1) These rules may be called the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .

2. In the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, sub- rule (1) , -

(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :-

'(b) "bona fide livelihood needs" means fulfilment of livelihood needs of self and family through exercise of any of the rights specified in sub-section (1) of section 3 of the Act and includes sale of surplus produce arising out of exercise of such rights;' ;

(ii) after clause (c) , the following clauses shall be inserted namely:-

'(ca) "community rights" means the rights listed in clauses (b), (c), (d), (e), (h), (i) , (j), (k) and (l) of sub-section (1) of section 3;';

(iii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :-

'(d) "disposal of minor forest produce" under clause (c) of sub-section (1) of section 3 shall include right to sell as well as individual or collective processing, storage,

value addition, transportation within and outside forest area through appropriate means of transport for use of such produce or sale by gatherers or their cooperatives or associations or federations for livelihood.';

Explanation: (1) The transit permit regime in relation to transportation of minor forest produce shall be modified and given by the Committee constituted under clause (e) of sub-rule (1) of rule 4 or the person authorised by the Gram Sabha,

(2) This procedural requirement of transit permit in no way shall restrict or abridge the right to disposal of minor forest produce,

(3) The collection of minor forest produce shall be free of all royalties or fees or any other charges';

3. In the said rules, after rule 2, the following rule shall be inserted, namely:-

"2A . **Identification of hamlets or settlements and process of their consolidation** - The State Government shall ensure that, -

(a) every panchayat, within its boundaries, prepares a list of group of hamlets or habitations, unrecorded or unsurveyed settlements or forest villages or taungya villages, formally not part of any Revenue or Forest village record and have this list passed by convening Gram Sabha of each such habitation, hamlets or habitations included as villages for the purpose of the Act through a resolution in the Panchayat and submit such list to Sub Division Level Committee.

(b) the Sub-Divisional Officers of the Sub Division Level Committee consolidate the lists of hamlets and habitations which at present are not part of any village but have been included as villages within the Panchayat through a resolution, and are formalised as a village either by adding to the existing village or otherwise after following the process as provided in the relevant State laws and that the lists are finalised by the District Level Committee after considering public comments, if any.

(c) on finalisation of the lists of hamlets and habitations, the process of recognition and vesting of rights in these hamlets and habitations is undertaken without disturbing any rights, already recognized;".

4. In the said rule 3, -

(a) in sub-rule (1) for the words "at least one-third members shall be the Scheduled Tribes", the words "at least two-third members shall be the Scheduled Tribes" shall be substituted;

(b) after sub-rule (3) the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4) The Forest Rights Committee shall not reopen the forest rights recognised or the process of verification of the claims already initiated before the date of coming into force of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Amendments Rules, 2012."

5. In the said rules, in rule 4, -

(i) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

(f) monitor and control the committee constituted under clause (e) which shall prepare a conservation and management plan for community forest resources in order to sustainably and equitably manage such community forest resources for the benefit of forest dwelling Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers and integrate such conservation and management plan with the micro plans or working plans or management plans of the forest department with such modifications as may be considered necessary by the committee.

(g) approve all decisions of the committee pertaining to issue of transit permits, use of income from sale of produce, or modification of management plans.

(ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The quorum of the Gram Sabha meeting shall not be less than one-half of all members of such Gram Sabha:

Provided that at least one-third of the members present shall be women:

Provided further that where any resolutions in respect of claims to forest rights are to be passed, at least fifty per cent of the claimants to forest rights or their representatives shall be present:

Provided also that such resolutions shall be passed by a simple majority of those present and voting".

6. In the said rules, in rule 6, for clause (I), the following clause shall be substituted, namely:-

"(I) ensure easy and free availability of proforma of claims to the claimants as provided in Annexure-I (Forms A, B and C) of these rules."

7. In the said rules, in rule 8,-

(i) in clause (g), the word "and", shall be omitted;

(ii) in clause (h), at the end the word "and" shall be inserted;

(iii) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely:-

"(i) ensure that a certified copy of the record of the right to community forest resource and title under the Act, as specified in Annexure IV to these rules, is provided to the concerned Gram Sabha or the community whose rights over community forest resource have been recognised under clause (i) of sub-section(1) of Section 3."

8. In the said rules, in rule 10,-

(i) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) meet at least once in three months to monitor the process of recognition, verification and vesting of forest rights, consider and address the field level problems, and furnish a quarterly report in the format appended as Annexure V to these rules, to the Central Government on their assessment regarding the status of claims, the compliance with the steps required under the Act, details of claims approved, reasons for rejection, if any and the status of pending claims.;";

(ii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

"(f) specifically monitor compliance of the provisions contained in clause (m) of sub-section(1) of section 3 and sub-section (8) of section 4."

9. In the said rules, in rule 11, in sub-rule(4), for the words and letter "community forest rights in Form B" the words "community forest rights in Form B and the right over community forest resource under clause (i) of sub-section (1) of Section 3 in Form C" shall be substituted.

10. In rule 12 of the said rules, in sub-rule (i) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-

"(f) delineate the customary boundaries of the community forest resource with other members of the Gram Sabha including elders who are well versed with such boundaries and customary access;

(g) prepare a community forest resource map with recognisable land marks and through substantial evidence as enumerated in sub-rule (2)of rule 13 and thereafter, such community forest resource claim shall be approved by a resolution of the Gram Sabha passed by a simple majority.

Explanation: The delineation of community forest resource may include existing legal boundaries such as reserve forest, protected forest, National Parks and Sanctuaries and such delineation shall formalize and recognise the powers of the community in access, conservation and sustainable use of such community forest resources."

11. In the said rules, after rule 12, the following rules shall be inserted, namely:-

"12 A. **Process of recognition of rights.-** (1) On receipt of intimation from the Forest Rights Committee, the officials of the Forest and Revenue departments shall remain present during the verification of the claims and the verification of evidences on the site and shall sign the proceedings with their designation, date and comments, if any.

(2) If any objections are made by the Forest or Revenue departments at a later date to a claim approved by the Gram Sabha, for the reason that their representatives were absent during field verification, the claim shall be remanded to the Gram Sabha for re-verification by the committee where objection has been raised and if the representatives again fail to attend the verification process the Gram Sabha's decision on the field verification shall be final.

(3) In the event of modification or rejection of a claim by the Gram Sabha or a recommendation for modification or rejection of a claim forwarded by the Sub-Divisional Level Committee to the District Level Committee, such decision or recommendation on the claim shall be communicated in person to the claimant to enable him to prefer a petition to the Sub-Divisional Level Committee or District Level Committee as the case may be, within a period of sixty days which shall be extendable to a period of thirty days at the discretion of the above said committees.

(4) If any other state agency desires to object to a decision of the Gram Sabha or

the Sub-Divisional Level Committee, it shall file an appeal before the Sub-Divisional Level Committee or the District Level Committee, as the case may be, which shall be decided by the Committee (in the absence of the representative of the concerned agency, if any) after hearing the claimant.

(5) No petition of the aggrieved person shall be disposed of, unless he has been given a reasonable opportunity to present anything in support of his claim.

(6) The Sub-Divisional Level Committee or the District Level Committee shall remand the claim to the Gram Sabha for re-consideration instead of modifying or rejecting the same, in case the resolution or the recommendation of the Gram Sabha is found to be incomplete or prima-facie requires additional examination.

(7) In cases where the resolution passed by the Gram Sabha, recommending a claim, with supporting documents and evidence, is upheld by the Sub-Divisional Level Committee with or without modifications, but the same is not approved by the District Level Committee, the District Level Committee shall record detailed reasons for not accepting the recommendations of the Gram Sabha or the Sub-Divisional Level Committee as the case may be, in writing, and a copy of the order of the District Level Committee along with the reasons shall be made available to the claimant or the Gram Sabha or the Community as the case may be.

(8) The land rights for self-cultivation recognised under clause (a) of sub-section (1) of section 3 shall be, within the specified limit, including the forest lands used for allied activities ancillary to cultivation, such as, for keeping cattle, for winnowing and other post-harvest activities, rotational fallows, tree crops and storage of produce.

(9) On completion of the process of settlement of rights and issue of titles as specified in Annexure II, III and IV of these rules, the Revenue and the Forest departments shall prepare a final map of the forest land so vested and the concerned authorities shall incorporate the forest rights so vested in the revenue and forest records, as the case may be, within the specified period of record updation under the relevant State laws or within a period of three months, whichever is earlier.

3319 GI/12-5

(10) All decisions of the Sub-Divisional Level Committee and District Level Committee that involve modification or rejection of a Gram Sabha resolution or recommendation of the Sub Divisional Level Committee shall give detailed reasons for such modification or rejection, as the case may be:

Provided that no recommendation or rejection of claims shall be merely on any technical or procedural grounds:

Provided further that no committee (except the Gram Sabha or the Forest Rights Committee) at the Block or Panchayat or forest beat or range level, or any individual officer of any rank shall be empowered to receive claims or reject, modify, or decide any claim on forest rights.

(11) The Sub-Divisional Level Committee or the District Level Committee shall consider the evidence specified in rule 13 while deciding the claims and shall not insist upon any particular form of documentary evidence for consideration of a claim.

Explanation: 1. Fine receipts, encroacher lists, primary offence reports, forest settlement reports, and similar documentation by whatever name called, arisen during prior official exercise, or the lack thereof, shall not be the sole basis for rejection of any claim.

2. The satellite imagery and other uses of technology may supplement other form of evidence and shall not be treated as a replacement.

12 B. Process of Recognition of Community Rights:- (1) The District Level Committee shall, in view of the differential vulnerability of Particularly Vulnerable Tribal Groups as described in clause (e) of sub-section (i) of section 3 amongst the forest dwellers, ensure that all Particularly Vulnerable Tribal Groups receive habitat rights, in consultation with the concerned traditional institutions of Particularly Vulnerable Tribal Groups and their claims for habitat rights are filed before the concerned Gram Sabhas, wherever necessary by recognizing floating nature of their Gram Sabhas.

(2) The District Level Committee shall facilitate the filing of claims by pastoralists, transhumant and nomadic communities as described in clause (d) of

sub-section (i) of section 3 before the concerned Gram Sabhas.

(3) The District Level Committee shall ensure that the forest rights under clause (i) of sub-section (1) of section 3 relating to protection, regeneration or conservation or management of any community forest resource, which forest dwellers might have traditionally been protecting and conserving for sustainable use, are recognized in all villages with forest dwellers and the titles are issued.

(4) In case where no community forest resource rights are recognized in a village, the reasons for the same shall be recorded by the Secretary of the District Level Committee.

(5) The conversion of forest villages, unrecorded settlement under clause (h) of section 3 shall include the actual land-use of the village in its entirety, including lands required for current or future community uses, like, schools, health facilities and public spaces."

12. In rule 13 of the said rules, in sub-rule(2),-

(i) for the words "Community Forest Rights" the words "Community Forest Resource" shall be substituted.

(ii) after clause (c) the following clauses shall be inserted, namely:-

(d) government records or earlier classification of current reserve forest as protected forest or as gochar or other village common lands, nistari forests;

(e) earlier or current practice of traditional agriculture."

13. After rule 15 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:_

"16. **Post Claim support and handholding to holders of forest rights:**

The State Government shall ensure through its departments especially tribal and social welfare, environment and forest, revenue, rural development, panchayati raj and other departments relevant to upliftment of forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers, that all government schemes including those relating to land improvement, land productivity, basic amenities and other livelihood measures are provided to such claimants and communities whose rights have been

recognized and vested under the Act.

14. In the said rules, in Annexure-I, after Form B, the following Form shall be inserted, namely:-

"FORM – C

CLAIM FORM FOR RIGHTS TO COMMUNITY FOREST RESOURCE

[See section 3(1)(i) of the Act and rule 11(1) and 4(a)]

1.Village/Gram Sabha:

2. Gram Panchayat:

3. Tehsil/ Taluka:

4. District:

5. Name(s) of members of the gram sabha [Attach as separate sheet, with status of Scheduled Tribes/Other Traditional Forest Dwellers indicated next to each member].

Presence of few Scheduled Tribes/ Other Traditional forest Dwellers is sufficient to make the claim.

We, the undersigned residents of this Gram Sabha hereby resolve that the area detailed below and in the attached map comprises our Community Forest Resource over which we are claiming recognition of our forest rights under section 3(1)(i).

[Attach a map of the community forest resource, showing location, landmarks within the traditional or customary boundaries of the village or seasonal use of landscape in the case of pastoral communities to which the community had traditional access and which they have been traditionally protecting, regenerating , conserving and managing for sustainable use. Please note that this need not correspond to existing legal boundaries.)

6. Khasra / Compartment No.(s), if any and if known:

7. Bordering Villages:

(i)

(ii)

(iii)

(This may also include information regarding sharing of resources and responsibilities with

any other villages.)

8. List of Evidence in Support (Please see Rule 13)

Signature / Thumb impression of the Claimant(s):

15. In the said rules, after Annexure-III, the following Annexure shall be inserted, namely:-

"Annexure-IV

TITLE TO COMMUNITY FOREST RESOURCES

[See rule 8(i)]

1. Village/Gram Sabha:
2. Gram Panchayat:
3. Tehsil/ Taluka:
4. District:
5. Scheduled Tribe / Other Traditional Forest Dweller: Scheduled Tribes community / Other Traditional Forest Dwellers community / Both
6. Description of boundaries including customary boundary, by prominent landmarks, and by khasra / compartment No:

Within the said area, this community has the right to protect, regenerate or conserve or manage, and this (to be named) community forest resources which they have been traditionally protecting and conserving for sustainable used as per section 3(1)(i) of the Act. No conditions are being imposed on this right other than those in the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act and the Rules framed thereunder.

We, the undersigned, hereby, for and on behalf of the Government affix our signatures to confirm the community forest resource (to be named and specified in extent, quantum, area, whichever is applicable) as mentioned in the Title to the above mentioned gram sabha/community(ies).

(Divisional Forest Officer/ (District Tribal Welfare Officer)

Deputy Conservator of Forests) (District Collector/ Deputy Commissioner)"

Annexure –V

Format for furnishing quarterly report
[See Rule 10 (c)]

1.	**Name of State**	
2.	**Status of Claims**	
a)	*Individual Rights*	
	• Filed	
	• Accepted	
	• Rejected	
	• Pending	
	• Reasons for rejection with examples	
	• Corrective measures suggested	
	• Any other observations	
	• Extent of forest land covered (in Ha.)	
	• Status of updation of forest and revenue records under section 3(1)(a) of the Act (in Ha.)	
b)	*Community Forest Rights*	
	• Filed	
	• Accepted	
	• Rejected	
	• Pending	
	• Extent of forest land covered	
	• Status of updation of forest and revenue record under Section	

	3(1) (b) to 3(1)(l) of the Act (in Ha.)	
	• Reasons for rejections with example	
	• Corrective measures suggested	
	• Any other observations	
c)	Details of Community Forest Resource being managed and by whom	
d)	Good Practices (if any)	
e)	Area diverted under section 3(2) of the Act (in Ha.)	
e)	Any other Remarks	

(Chairman)

State Level Monitoring Committee

(Member Secretary)

State Level Monitoring Committee

[F. No. 23011/32/2010-(Vol.II)]

Dr. SADHANA ROUT, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1(E), dated the 1st January, 2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.